तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिकिशन वगैरा बनाम रमेशचन्द मुथार वगैरा धारा 88,188, प्रकरण सख्या 90/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी सख्या 1 के रूप मे संयोजित किया है कि वादीगण ने उक्त वाद खसरा नम्बर 678/12 रकबा 5.9246 हैक्टर भूमि का पेश किया है रेवेन्यु रेकर्ड चालू जमाबन्दी मे करीब 16 सहखातेदार है तथा वादीगण ने खसरा नम्बर 678/12 की भूमि मे ही अनुतोष चाहा है परन्तु वादीगण ने सभी सहखातेदरो को पक्षकार नही बनाया है तथा आवश्यक पक्षकारो के अंसयोजन के कारण वादीगण का वाद पक्षकारो के अंसयोजन से आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत वर्जित है इस कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण तथा वाद कारण के अभाव मे वादी का वाद मिस ज्वाईन्डर ऑफ पार्टी के आधार पर एव वादीगण अपने पिता मोतीराम के नाम से अतिरिक्त तहसीलदार लूणी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश व प्रतिवादीगण को मोतीराम के द्वारा किया गया बेचान करने की रिलिफ वादीगण राजस्व न्यायालय से प्राप्त नही कर सकता है मात्र सिविल न्यायालय से संपरिवर्तन आदेश व बेचान नामा निरस्त कर ही रिलिफ प्राप्त कर सकता है इस कारण वादीगण का उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे वादीगण की ओर से जबाव पेश किया गया जिसकी नकल प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया जो सही है वादपत्र मे कथित अभिवचनो को देखा जाता है जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी रूप मे मेन्टेनेबल नही है साथ ही पक्षकारो के अंसयोजन का आधार उक्त आदेश मे नही है ओर न ही किसी भी रूप मे असयोजन हुआ है तथा प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में तथाकथित संपरिवर्तन आदेश का हवाला दिया है ऐसा कोई आदेश न हुआ और न ही वादीगण के पिता ने बेचान या रूपान्तरण करवाया इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के अनुकूल न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। पत्रावली मे बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने अपने बहस मे प्रार्थना पत्र/जबाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। वादीगण ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है तथा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण वादीगण का वाद पक्षकारों के असंयोजन से आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत वर्जित हैं। इसी तरह से खसरा नम्बर 678 रकबा 51.05 बीघा का खातेदारों ने जरिये आपसी सहमति से दिनांक 23.03.1994 को बंटवाड़ा कर लिया। वादीगण के पिता मोतीराम ने खसरा नम्बर 678 में से 4.16 बीघा का अतिरिक्त तहसीलदार लूणी के कार्यालय से आवासीय संपरिवर्तन करवाकर पट्टा जारी करवा लिया, जो मिसल सख्या 151/91/795–97 दिनांक 30.04.1994 को जारी हैं तथा उक्त संपरिवर्तन आदेश से प्रतिवादीगण को अलग–अलग आवासीय भूखण्ड का बेचान दिनांक 16.11.1994 को कर दिया जो कि उप–पंजीयक प्रथम जोधपुर में पंजीबद्ध है तथा प्रतिवादीगण तब से अपनी खरीदसुदा भुखण्ड पर काबिज हैं। इस स्थिति में वादीगण राजस्व न्यायालय से रिलिफ नही प्राप्त कर सकता हैं, मात्र सिविल न्यायालय से संपरिवर्तन आदेश एवं बेचाननामा निरस्त करवाकर रिलिफ प्राप्त कर सकता है। इस कारण वादीगण का वाद उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	